फर्द अहकाम
(नियम 26)
फर्द अहकाम
अज अदालत मुकाम .जिला कलक्टर,भरतपुर
किस्म मुकदमा रेफरेन्स नम्बर 06/2019
सरकार तहसीलदार भरतपुर बनाम सूखा वगै0
अन्तर्गत धारा 82 एल.आर.एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
27–12–24	पत्रावली पेश हुई। राजकीय पैरोकार उपस्थित। अप्रार्थी अभिभाषक उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से जबाव पेश किया गया जो शामिल मिसिल हैं। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया। पैरोकार सरकार ने अपने कथनों में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि गत आराजी खसरा नम्बर 1009 रकबा 0.08 बिस्वा, 992 रकबा 3.19 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 2649 रकबा 0.04, ख.न. 2660 रकबा 0.21 है0 कस्वा चक नम्बर 02 भरतपुर तहसील भरतपुर पर अप्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा अनुचित रुप से खातेदारी प्राप्त कर ली है। अप्रार्थीगण जरिये विरासत राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज हैं। विवादित आराजी नगर निगम। भरतपुर विकास प्राधिकारण की सीमाओं के अन्तर्गत स्थित है। पैरोकार सरकार का यह कथन है कि विवादित आराजी सी.एफ.सी.डी वहाव क्षेत्र में है। अप्रार्थीगण ने जलभराव क्षेत्र में हाल खसरा नम्बर 2649 रकबा 0.04, ख.न. 2660 रकबा 0.21 है0 कस्वा चक नम्बर 02 भरतपुर तहसील भरतपुर कस्वा चक नम्बर 02 भरतपुर पर खातेदारी प्राप्त कर ली है जो अवैध है। माननीय उच्च न्याालय अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अप्रार्थीगण की खातेदारी निरस्त किये जाने एवं विवादित आराजी पूर्व की भांति सिवाय चक राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराये जाने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाये जाने का निवेदन किया है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी0 ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते जाहिर किया कि विवादित आराजी सी.एफ.सी.डी. क्षेत्र में नही आती है, और नाहीं यह भूमि पानी भराव क्षेत्र की है। विवादित आराजी सन् 1945 से ताहाल तक पहले रुपराम बल्द घूडी की खातेदारी में दर्ज थी तथा भूमि की किस्म चाही थी। रुपराम की मृत्यू के बाद वाद विरासत में उनके पुत्र सूखा व नारायण पिसरान रुपराम के नाम हो गये। तथा सूखा के लावल्द बिला औरत फौत होने पर इन्द्राजात नारायन के नाम हो गये तथा नारायन ही काबिल होकर काश्त करता रहा तथा नारायन द्वारा अपने कब्जे काश्त को आराजी को विक्रय कर दिया। योग्य अभिभाषक का कथन है कि विवादिल आराजी को लेकर तहसीलदार भरतपुर ने पूर्व में एक रेफरेन्स पेश किया था जो राजस्व मण्डल अजमेर में रेवन्यू एलआर संख्या 1960/2013 दर्ज होकर राजस्व मण्डल अजमेर में विचराधीन है। जिसमें माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निणर्य लिया जाना है। जब	

जिला कलक्टर

अप्रार्थीगण के खिलाफ विवादित आराजी को लेकर पूर्व से माननीय राजस्व मण्डल अजमेर रेफरेन्स विचाराधीन है तो वर्तमान में रेफरेन्स कार्यवाही चलने योग्य नहीं रहती है, इसलिये विचाराधीन रेफरेन्स खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनो पर गौर किया। वर्तमान में तहसीलदार भरतपुर ने विवादित हाल खसरा नम्बर 2649 रकबा 0.04, ख.न. 2660 रकबा 0.21 है0 कस्वा चक नम्बर 02 भरतपुर तहसील भरतपुर कस्वा चक नम्बर 02 भरतपुर, में स्थित हैं को सी.एफ.सी. डी बहाब क्षेत्र, माननीय उच्च न्यायालय अब्दुल रहमान बनाम सराकर के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में बताते हुये उक्त खसरा नम्बरान पर नियम विरुद्ध हो रहे अप्रार्थीगण के खातेदारी इन्द्राज निरस्त कराये जाने एवं पूर्व स्थिति सरकारी भूमि दर्ज कराये जाने हेतु दिनांक 22.8.2019 को इस न्यायालय में पेश किया गया है।

तहसीलदार भरतपुर ने अपने उक्त रेफरेन्स में पूर्व में प्रेषित किये गये रेफरेन्स का कोई हवाला नहीं दिया गया है। पूर्व में भी अन्य खसरा नम्बरान के साथ इन्हीं खसरा हाल खसरा 2649 रकबा 0.04, ख.न. 2660 रकबा 0.21 है0 कस्वा चक नम्बर 02 भरतपुर तहसील भरतपुर कस्वा चक नम्बर 02 भरतपुर है0 को लेकर अप्रार्थीगण के खिलाफ रेफरेन्स इस न्यायालय में पेश किया गया था। पत्रावली में उपलब्ध फोटो सत्यप्रतिलिपि पूर्व प्रेषित रेफरेन्स संख्या 5/2010 उनवानी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर बनाम सूखा वगे0 का अवलोकन से जाहिर है कि तहसीलदार भरतपुर ने इन्ही विवादित खसरा नम्बरान को तथा इन्हीं पक्षकारान को लेकर उक्त रेफरेन्स पेश किया गया था, जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28–5–2012 को आदेश पारित किया कि :–

> "..........प्रार्थना पत्र रेफरेन्स उपयुर्क्त विवेचनानुसार स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को राजस्थान भूराजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत इस निवेदन के साथ प्रेषित किया जाता है कि नियमों के विपरीत स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 931 दिनांक 30.6.62 बाके कस्वा चक नं.2 भरतपुर में दर्ज खाातेदारी इन्द्राज निरस्त किया जावे तथा इसके बाद हुये सभी विवादित आराजी के किये गये विक्रय बैयनामा (हस्तान्तरण को भी शून्य घोषित किया जावे। इन्द्राजात कलमजन कर उक्त आराजी को राजकीय भूमि दर्ज किये जाने , इन्द्राजात को कलमजन कर उक्त आराजी को राजकीय भूमि दर्ज किये जाने की आज्ञा दी जावे। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय होने तक अप्रार्थीगण विवादित आराजी की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे। पक्षकारान माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में दिनांक 7–8–2012 को उपस्थित हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार भरतपुर को भेजी जावे........।"

जिला कलक्टर

पत्रावली में उपलब्ध फोटो प्रति प्रमाणित माननीय राजस्व मण्डल अजमेर आर्डरसीट 19.3.2013 प्रकरण रेफरेन्स नम्बर एलआर 1960/2013 उनवानी राज0सरकार बनाम सूखा वगै0 के अवलोकन से जाहिर है कि इस न्यायालय द्वारा प्रेषित रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में रेफरेन्स नम्बर एलआर 1960/2013 पर दर्ज रजिस्टर है और आज भी प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में उन्हीं खसरा नम्बरान एवं उन्हीं पक्षकारान को लेकर तहसीलदार भरतपुर द्वारा किये गये विचाराधीन नये रेफरेन्स कार्यवाही को इसी स्टेज पर ड्राप किया जाना उचित पाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार विचाराधीन रेफरेन्स को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन रेफरेन्स की परिप्रेक्ष्य में इसी स्टेज पर ड्राप की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार भरतपुर को प्रेषित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन रेफरेन्स एल.आर संख्या 1960/2013 जिला भरतपुर उनवानी राज.सरकार बनाम सुखा वगै0 में प्रभावी पैरवी किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

जिला कलक्टर,
भरतपुर